न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–04 / 2011 अपील

पंजियन दि. 10.01.2011

निर्णय दिनांक 08.07.2015

देवकृष्ण उपाध्याय पिता रामशंकर उपाध्याय ब्राह्मण, निवासी पादरडी बडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत पादरडी बडी जरिये सरपंच तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. सचिव, ग्राम पंचायत पादरडी बड़ी तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री ईश्वरलाल पिता बालशंकर उपाध्याय ब्राह्मण निवासी पादरडी बडी तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध बापी पट्टा क्रमांक 57 दिनांक 22.12.2004 एवं नवीनीकरण प्रस्ताव सं. 7 दिनांक 05–04–2010

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण शुक्ला–वकील प्रार्थी
2. श्री संजीव भटनागर वकील–विपक्षीगण

:: निर्णय ::

यह प्रार्थना पत्र / पुनरीक्षण प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायत राज. अधिनियम 1994 की धारा–97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरडी बड़ी द्वारा जारी बापी पट्आ क्रमांक 57 दिनांक 22.12.2004 जिसे प्रस्ताव संख्या–7 दिनांक 05.04.2010 से नवीनीकृत किया है, को निरस्त कराने बाबत् विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 3 एक ही ग्राम पादरडी बड़ी के मूल निवासी है। प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व का एक मकान मौका पादरडी बड़ी में करीब 80 वर्ष पुराना स्थित है, जिसमें प्रार्थी पूर्वजो के समय से रहता चला आ रहा है। प्रार्थी के मकान के पूर्व में श्री ललीताशंकर पिता अचरत लाल की जमीन, पश्चिम में प्रार्थी का आवागमन का मार्ग व सीढ़ीया तथा आवगामन का मार्ग छोड़कर विपक्षी सं. 3 श्री ईश्वरलाल पिता बालशंकर का मकान, उत्तर में प्रार्थी व उसके भाई श्री भरतलाल की जमीन तथा दक्षिण में श्री भरतलाल उपाध्याय का मकान है। प्रार्थी के मकान के आगे खुले चौक को छोड़कर पश्चिम में प्रार्थी के आवागमन का मार्ग स्थित है, जहा प्रार्थी की सीढ़ीया बनी हुई थी जो पूर्व–पश्चिम 2.9 फीट चौड़ी एवं उत्तर–दक्षिण 11.9

जिला कलक्टर, डूंगरपुर

छोड़कर विपक्षी सं. 3 श्री ईश्वरलाल पिता बालशंकर का मकान, उत्तर में प्रार्थी व उसके भाई श्री भरतलाल की जमीन तथा दक्षिण में श्री भरतलाल उपाध्याय का मकान है। प्रार्थी के मकान के आगे खुले चौक को छोड़कर पश्चिम में प्रार्थी के आवागमन का मार्ग स्थित है, जहां प्रार्थी की सीढ़ीया बनी हुई थी जो पूर्व–पश्चिम 2.9 फीट चौड़ी एवं उत्तर–दक्षिण 11.9 फीट लम्बी बनी हुई है जिसका उपयोग प्रार्थी व उसका परिवार पूर्वजो के समय से करता रहा है।

विपक्षी सं. 3 श्री ईश्वरलाल का प्रार्थी के आने जाने वाले मार्ग व सीढ़ीयों से कोई लेना–देना नही है, न ही उसका स्वामित्व ही है तथापि ग्राम पंचायत पादरडी बडी द्वारा जरिये मी.न. 57 दिनांक 06.12.2004 के पट्टा सं. 57 दिनांक 22.12.2004 का बगैर प्रक्रिया अपनाये जारी कर दिया जिसके पूर्व में प्रार्थी का मकान अंकित कर दिया जबकि वास्तविक रूपेण पूर्व में प्रार्थी के आने जाने की सीढीयां तथा आंगन है तत्पश्चात् मकान है। ग्राम पंचायत को प्रार्थी के कब्जेयाबी की भूमि व मार्गाधिकार का बापी पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही था तथापि जारी कर दिया है जो अवैध है। बापी पट्टा मात्र निर्मित मकान बाबत् जारी किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत ने खाली भूमि का जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति भी आमंत्रित नही की जाकर समस्त कार्यवाहियां गोपनीय तरीके से संपादित की हैं। दिनांक 22.12.2004 का जारी बापी पट्टे के नवीनीकृत के नाम पर दिनांक 05.04. 2010 को पुनः एवं नया पट्टा जारी किया है। प्रार्थी द्वारा भी ग्राम पंचायत में अपने मकान मय सिढीयों का पट्टा प्राप्त करने आवेदन वर्ष 2009 में किया था जिसका मौका मुआयना व नाप भी पंचायत द्वारा दिनांक 05.12.2009 को किया गया है, जिसमें भी सीढीयां दर्शाई है किन्तु प्रार्थी के आवेदन का निस्तारण नही किया जाकर विपक्षी सं. 3 के आवेदन का निस्तारण कर दिया है, जिससे विदित होता है कि विपक्षी सं. 1 व 2 विपक्षी सं. 3 के प्रभाव में है। जारी पट्टा मौके के वास्तविक तथ्यों के विपरित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जारी बापी पट्टो को निरस्त किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ही पृथक से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्रों अपील/पुनरीक्षण एवं परिसीमा अधिनियम को पृथक–पृथक दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को तलब किया गया। विपक्षीगणों की ओर से अभिभाषक नियुक्त करते हुए संबंधित प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्षों की बहस समायत की गई। परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव की जानकारी प्रार्थी को होने पर आवश्यक नकले

कलक्टर
डूंगरपुर

मांगी गई किन्तु पूर्ण नकले प्रदान नही की गई। प्रस्ताव की नकल दिनांक 12.10.2010 को दी गई, तत्पश्चात् प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है। मामला प्रार्थी के हको से संबंधित है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विपक्षी के योग्य वकील का कथन है कि प्रार्थी को पट्टे की जानकारी पूर्व से ही है तथापित जान बुझकर विलम्ब करते हुए परेशान करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र, जवाब एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मामला उसके मालिकाना हको को लेकर होने से न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया है, कि ग्राम पंचायत पादरडी बडी द्वारा विपक्षी सं. 03 को वर्ष 2004 में बापी पट्टा जारी किया था जो विहित प्रक्रियाओं की पालना के अभाव में प्रांरभ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी था। पट्टे में हस्ताक्षर प्रार्थी नही है तथा इसके नाप में भी काट–छांट की गई हैं। पट्टे में की गई कांट–छांट पर किसी के हस्ताक्षर नही है, जिससे इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। विपक्षी सं. 3 को जब वर्ष 2004 में पट्टा जारी किया गया था, तो बाद में वर्ष 2010 में पुनः नया पट्टा नवीनीकरण के नाम पर जारी करने का कोई औचित्य ही नही था। दिनांक 05.04.2010 के पर्चा मौका अथवा बैठक की प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। विपक्षी सं. 3 द्वारा सिविल न्यायालय सागवाड़ा में प्रस्तुत निषेधाज्ञा के वाद के क्रम में पट्टे बाबत जानकारी होने से इसे निरस्त कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थी के स्वामित्व एवं अधिकारों से संबंधित है। बापी पट्टा निर्मित पुराने मकान बाबत् का ही जारी किया जा सकता है, जबकि इस मामले में आंगन एवं सिढ़ीयों सहित आवागमन के रास्ते बाबत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया है, जो प्रारंभतः शुन्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा वाद–विविधता पैदा होकर मौके की आम जन शांती एवं आपसी संबन्ध खराब होने की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत पादरडी बडी द्वारा जारी अपीलाधीन पट्टा क्रमांक 57 को निरस्त किया जावे।

विपक्षीगण के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के मकान के आगे प्रार्थी व उसके भाई भरत का 14 फीट चौड़ा आंगन है, जहां दोनों भाई आना–जाना करते है। प्रार्थी के आंगन की भूमि को छोड़कर विपक्षी सं. 03 की बारी की जमीन है, जो कभी भी प्रार्थी के आवागमन का मार्ग नही रही हैं। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय (व.ख.) सागवाड़ा में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज हो चुका हैं। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट नक्शे से भी स्थिति स्पष्ट होती है। मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स भी इसकी पुष्टि करते है। विपक्षी सं. 3 के नाम पट्टा जारी करने बाबत् समस्त विधिक

अंतर है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है तथा इन पट्टो के बने रहने से मौके की विसंगतियां बनी रह कर पक्षकारान के मध्य हमेशा विवादास्पद स्थितियां बनी रहने की भी संभावना परिलक्षित होती है। इसका एक मात्र उपाय दोनों पट्टो को निरस्त करते हुए मौका अनुसार विधिक रूपेण पुनः पट्टा जारी करना ही है।

फलतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को आंशिक रूपेण स्वीकार करते हुए मौजा पादरडी बडी में विपक्षी सं. 03 श्री ईश्वरलाल के नाम पर जारी बापी पट्टा क्रमांक 57 दिनांक 22.12.2004 एवं पंचायत प्रस्ताव सं. 7 दिनांक 05.04.2010 द्वारा नवीनीकृत सम संख्यक बापी पट्टा को निरस्त किये जाते है तथा मामले को विपक्षी सं. 1 व 2 को प्रति प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षो की सुनवाई, साक्ष्य एवं मौका स्थिति की वास्तविक जानकारी करने के उपरान्त प्रक्रियाओं की पालना करते हुए पट्टा जारी की कार्यवाही हेतु नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर